न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक राज0

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गा प्रसाद मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिसल संख्या :– 185/2023

निर्णय दिनांक :– 13.08.2024

उनवानी दावा:

1. गुलशन बेगम पत्नि बिलाल अहमद जाति मुसलमान उम्र बालिग निवासी जूनियां तहसील केकड़ी जिला केकड़ी राज0
2. मोहम्मद अली पुत्र अब्दुल हकीम जाति मुसलमान उम्र बालिग निवासी हनुमान नगर उंचा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा राज0

–वादीगण–

बनाम

1. बृजराजसिंह पुत्र श्योजी जाति दरोगा उम्र बालिग निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोक राज0

–प्रतिवादीगण–

उपस्थिति :–

श्री आलोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादी

श्री अशोक कुमार गुप्ता
अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1

दावा तकासमा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

पत्रावली वास्ते निर्णय/आदेश पेश हुई। निर्णय/आदेश इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 07.06.2024 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली में बाद बहस पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार देवली से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता उभयपक्ष से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अन्तिम बहस में कथन किया कि कुर्रेजात रिपोर्ट को मय नक्शा ट्रेस सही बताया है, मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित करने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर ध्यान किया। कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट पत्रांक भू. अ./2448 दिनांक 30.07.2024 का अवलोकन किया। तहसीलदार देवली द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार तैयार किये गये है।

अतः जमाबंदी सम्वत 2075–78 भूमि खाता सं. 1077 ख. नं. 4375/210 रकबा 0.57 है0, भूमि वाके ग्राम पनवाड़ प0ह0 पनवाड़ तहसील देवली, जिला–टोंक राज0 के विभाजन हेतु तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जाता हैं।

अतः तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :–

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	मोहम्मद अली पुत्र अब्दुल हकीम हि. 1/2 जाति मुसलमान स्व. हनुमान नगर ऊंचा तहसील जहाजपुरा जिला भीलवाड़ा गुलशन बेगम पत्नी बिलाल अहमद हि. 1/2 जाति मुसलमान सा. जुनियां तह.	4375/210/1	0.25	बा.2	1.00

Scanned with OKEN Scanner

	केकड़ी जिला अजमेर खातेदार नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शित				
	योग	किता–1	0.25	बा.2	1.00
2.	बृजराज सिंह पुत्र श्योजी जाति दरोगा सा. देह खातेदार राहिन एस.बी.बी.जे शाखा देवली नक्शा ट्रेस में नारंगी रंग से दर्शित	4375/210/2	0.32	बा.2	1.28
	योग	किता–1	0.32	बा.2	1.28

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं, जरिये एजेंट, नोकर, चाकर, एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के वादी के उक्तानुसार हिस्से की भूमि की हद तक वादीगण के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी। तद्नुसार अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 13.08.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

अंतिम डिक्री

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल्स 6व 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी...
मुकाम देवली व अलजाम श्री दुर्गा प्रसाद मीना उपखण्ड अधिकारी देवली आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी देवली टोंक..... .

उनवानी दावा:

1. गुलशन बेगम पत्नि बिलाल अहमद जाति मुसलमान उम्र बालिग निवासी जूनियां तहसील केकड़ी जिला केकड़ी राज0
2. मोहम्मद अली पुत्र अब्दुल हकीम जाति मुसलमान उम्र बालिग निवासी हनुमान नगर उंचा तहसील जहाजपुर जिला शाहपुरा राज0 —वादीगण—

बनाम

1. बृजराजसिंह पुत्र श्योजी जाति दरोगा उम्र बालिग निवासी पनवाड तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. तहसीलदार महोदय, देवली जिला टोक राज0 —प्रतिवादीगण—

दावा तकासमा आराजीयात एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 185 सन् 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्री दुर्गा प्रसाद मीणा आर.ए. एस. उपखण्ड अधिकारी देवली बहाजरी श्री आलोक कुमार शर्मा अधिवक्ता वादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्री अशोक कुमार गुप्ता अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबंदी सम्वत 2075—78 भूमि खाता सं. 1077 ख. नं. 4375/210 रकबा 0.57 है0, भूमि वाके ग्राम पनवाड़ प0ह0 पनवाड़ तहसील देवली, जिला—टोंक राज0 जिला—टोंक राज0 के विभाजन हेतु तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव अनुसार दावा अंतिम डिक्री पर्चा जारी किया जाता हैं।

अतः तहसीलदार देवली की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा :—

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1.	मोहम्मद अली पुत्र अब्दुल हकीम हि. 1/2 जाति मुसलमान स्व. हनुमान नगर ऊंचा तहसील जहाजपुरा जिला भीलवाड़ा गुलशन बेगम पत्नी बिलाल अहमद हि. 1/2 जाति मुसलमान सा. जुनियां तह. केकड़ी जिला अजमेर खातेदार नक्शा ट्रेस में हरे रंग से दर्शित	4375/210/1	0.25	बा.2	1.00
	योग	किता—1	0.25	बा.2	1.00

	बृजराज सिंह पुत्र श्योजी जाति दरोगा सा. देह खातेदार राहिन एस.बी.बी.जे शाखा देवली नक्शा ट्रेस में नारंगी रंग से दर्शित	4375/210/2	0.32	बा.2	1.28
	योग	किता–1	0.32	बा.2	1.28

उक्त सूची अनुसार पक्षकारान को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे स्वयं, जरिये एजेंट, नोकर, चाकर, एवं अन्य पारिवारिक सदस्यो के वादी के उक्तानुसार हिस्से की भूमि की हद तक वादीगण के कब्जेकाश्त, उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे और राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति वाद की पालना तक बनाये रखे। तहसीलदार देवली द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस निर्णय के साथ संलग्न रहेगी।

निजी...मुवलिक...बाबत् ....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि तक .... की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 13 माह 08 सन् 2024 को जारी किया गया।

दस्तख्त ....

मुहर ओहदा ....

मुददई	रू.	पै.	मुद्दायलह	रू.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned with OKEN Scanner